11.4.19 [illegible stamp] 12.4.19

उपखण्ड अधिकारी [illegible]

12.4.19 [illegible stamp] 7.5.19

उपखण्ड अधिकारी [illegible]

7.5.19 [illegible stamp] 14.5.19

14.5.19 वकील वादीगण द्वारा एक राजीनामा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षीगण सं. 1 लगायत 06 की ओर से अधिकार पत्र श्री मोहम्मद हनीफ रंगरेज अधिवक्ता ने पेश किया जिसे भी शामिल पत्रावली किया गया। वादीगण एंव प्रतिवादीगण ने उपस्थित होकर आपसी राजीनामा प्रार्थना पत्र पेश किया। आपसी राजीनामा पढ़कर सुनाया गया। वादीगण एंव प्रतिवादीगण ने आपसी राजीनामा को सुन समझ कर सही होना स्वीकार किया गया। तथा उसी अनुसार वाद पत्र को निस्तारण किये जाने की इस्तदुआ की। राजीनामा मे ग्राम बागोर पटवार हल्का बागोर II मे आराजी सं. 5279 रकबा 18 बिस्वा, आराजी न. 5281 रकबा 14 बिस्वा, किता 02 रकबा 01 बीघा 12 बिस्वा एंव आराजी सं. 5294 रकबा 18 बिस्वा, आराजी सं. 6074 रकबा 02 बीघा 02 बिस्वा कुल किता 02 कुल रकबा 03 बीघा भूमि मे 1/30 हिस्सा का वादीगण प्रत्येक को प्रतिवादी सं. 1 लगायत 06 के साथ साथ वादीगण को भी खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने की इस्तदुआ की।

(Margin: नि मोती, संजय, मुकेश, दिनेश, शंकर 2, [signature] 14/5/19, नि पानी, नि गीता, नि मनली, नि कुमला)

[signature]

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
मैने पत्रावली का अवलोकन किया तथा आपसी राजीनामा पर मनन किया। न्यायहित मे प्रस्तुत आपसी राजीनामा के अनुसार वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम बागोर पटवार हल्का बागोर II तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा मे स्थित खाता संख्या 666 मे आराजी नं० 5279 रकबा 18 बिस्वा, आराजी नं० 5281 रकबा 14 बिस्वा कुल किता 02 कुल 01 बीघा 12 बिस्वा एंव खाता सं० 667 मे आराजी सं० 5294 रकबा 18 बिस्वा, आराजी सं० 6074 रकबा 02 बीघा 02 बिस्वा कुल किता 02 कुल रकबा 03 बीघा भूमि मे 1/30 हिस्सा वादीगण प्रत्येक को प्रतिवादी सं० 01 लगायत 06 के साथ-साथ वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर तदनुसार राजस्व रेकार्ड मे बहैसियत खातेदार अमलदरामद करने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर मम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा	